5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ,ग्वालियर
केम्प भोपाल निगरानी 856-III-15

अमरसिंह आ. पन्नालाल
निवासी ग्राम होलीपुरा तह. बुदनी
जिला–सीहोर म.प्र. ....निगरानीकर्ता

कु. अर्चना तिवारी
अधिवक्ता द्वारा आज
दि० 3/3/15 को प्रस्तुत।

विरूद्ध

संजीव महेश्वरी आ. प्रफुल्ल महेश्वरी
ई–3/23 अरेरा कालोनी भोपाल ....प्रतिनिगरानीकर्ता

3/3/15
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

महोदय,

निगरानीकर्ता विद्वान तहसीलदार बुदनी द्वारा रा.प्र.क. 28/A–6/13 में पारित आदेश दिनांक 29/12/2014 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यो अधारों पर यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत करता है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 856—तीन/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30—6—2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया व तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—12—14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। निगरानी ग्राह्य की जाती है । इस निगरानी में केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर समाप्त किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के अनुरूप नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—12—2014 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि वे आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देकर 3 माह में प्रकरण का निराकरण करें । यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	